न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

निगरानी 1542-I-15

1– मृत– करन्जुवा तनय जबरा काछी
2– मुस0 भवानीं बाई वेवा भगोला काछी
3– भूरा तनय भगोला काछी
4– धन्सू तनय भगोला काछी
5– हरचरण तनय भगोला काछी
6– महादेव तनय भगोला काछी
निवासीगण– ग्राम सांदनी तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मृत बैजनाथ तनय बदलुवा उर्फ रामदास काछी
2. रामलाल तनय दलुवा उर्फ रामदास काछी
3. रामप्यारी उर्फ महराजपुर वाली बेवा किशोरा काछी
4. रज्जू काछी तनय किशोरा काछी
5. बबलू काछी तनय किशोरा काछी
6. धनींराम काछी तनय किशोरा काछी
7. लखन लाल तनय किशोरा काछी
8. प्रेमदास नाबालिग तनय किशोरा काछी
9. कुन्जीलाल नाबालिग तनय किशोरा काछी
दोनो नाबालिग बली सरपरस्त मॉ रामप्यारी उर्फ महाराजपुर वाली बेवा किशोरा काछी
निवासीगण – ग्राम सांदनी सांदनी तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 620/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1542–एक/2015 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–02–2017	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश कुमार द्विवेदी उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर के प्रकरण कमांक 620/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.5.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। 3– आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि मौजा सांदनी तहसील राजनगर में स्थित भूमि ख.नं. 241, 247, 249, 899, 902, 907, 909, 916, 923, 924, 927, 1191, 1780, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 कुल किता 18 रकवा 1.378 है0 भूमि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है एवं उनका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बर में से ख. नं. 241, 247 की भूमियों के संबंध में अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर आवेदकगण ने उपस्थित होकर आपत्ति पेश की थी आपत्ति कर निवेदन किया था कि फर्जी विकय पत्र के आधार पर उक्त भूमियों पर अनावेदकगण का नामांतरण नहीं किया जा सकता है साथ ही यह भी निवेदन किया था कि उनके पिता करंजुवा ने कोई विकय पत्र संपादित नहीं किया है	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनावेदक फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि को हड़पना चाहते हैं ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आपत्ति पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया था लेकिन अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने आपत्ति पर विधिवत विचार किये बिना उक्त आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की है इस प्रकार उनके द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।	
	4– अनावेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 241, 247 किता 2 रकवा 1.712 है0 भूमि करंजुवा से अनावेदक क्रं. 1 बैजनाथ (मृतक) वारिश पत्नि एवं दो पुत्र अनावेदक क्रं. 2 रामलाल एवं अनावेदक3 ता 9 के पति/ पिता किशोरा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.74 को क्रय की थी क्रय दिनांक से ही मौके पर कब्जा प्राप्त कर कृषि करते चले आ रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि क्रेता वैजनाथ एवं दो अन्य क्रय दिनांक को नावालिग थे उनके द्वारा अपने नाम नामांतरण कराने बावत उसी समय आवेदन पेश कर दिया था उसके बाद वह आश्वस्त रहे कि उनके नाम नामांतरण हो जायेगा। उनका यह भी तर्क है कि मौके पर क्रय दिनांक से ही काबिज चले आ रहे हैं उनको कभी भी मौके पर कब्जे में आवेदकगण ने विवाद उत्पन्न नहीं किया इस कारण उनको यह जानकारी नहीं रही कि राजस्व अभिलेख में किसका नाम दर्ज है।	
	उनका यह भी तर्क है कि नामांतरण से स्वत्व प्राप्त नहीं होता मात्र राजस्व अभिलेख को अद्यतन रखने के लिये उक्त कार्यवाही की जाती है। करंजुवा ने वादग्रस्त भूमि विक्रय कर दी थी उसी दिनांक से वादग्रस्त भूमि पर उसके	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1542–एक/2015 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकार समाप्त होकर केता अनावेदक को प्राप्त हो गये थे। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में विकय पत्र के आधार पर अपने नाम नामांतरण कराने बावत आवेदन दिया था जिस पर आवेदक ने आपत्ति पेश की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत निराकरण कर निरस्त कर उचित आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाये कि विक्रय पत्र के आधार पर वाद भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण किया जावे। 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आवेदक कं. 1 करंजुवा (मृतक) ने वादग्रस्त भूमि ख.नं. 241, 247 किता 2 रकवा 1.712 है0 भूमि अनावेदक बैजनाथ (मृतक) किशोरा (मृत) एवं रामलाल जिसमें से दो केता बैजनाथ व किशोरा वर्तमान में मृतक हो जाने से उनके वारिश अनावेदकगण के रूप में पक्षकार है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.72 से विकय कर केतागण को अपने अधिकार दे दिये थे इस प्रकार कय दिनांक से ही विकेता के अधिकार समाप्त होकर वाद भूमि पर केता को स्वत्व प्राप्त हो गये थे। आवेदकगण का यह कहना गलत	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है कि उक्त विकय पत्र फर्जी है यदि विकय पत्र फर्जी है तब उन्हें इस बावत सिविल न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये थी राजस्व न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह यह जांच करें कि विकय पत्र सही है या गलत बल्कि राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है कि उनके समक्ष यदि रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की है तब समुचित प्रकिया अपनाकर उन्हें नामांतरण करना चाहिये। आवेदकगण का एक मात्र आशय यह प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार केतागण का नामांतरण न हो इसी कारण तहसील न्यायालय की कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में तहसील न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर कार्यवाही की जा रही है। आवेदकगण की आपत्ति पर सुनवाई कर उसे निरस्त करने का वैध आदेश पारित किया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 स्थिर रखा जाता है एवं नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर को निर्देश दिये जाते हैं कि विकय पत्र के आधार पर विकय पत्र में दर्शित बाद भूमि ख.नं. 241, 247 किता 2 रकवा 1.712 है0 भूमि पर केतागण बैजनाथ (मृतक) उसके विधिक वारिशान पत्नी एवं दो पुत्र एवं किशोरा (मृतक) उसके विधिक वारिश 3 ता 9 एवं रामलाल अनावेदकगण के नाम नामांतरण कर राजस्व अभिलेख में से आवेदकगण के नाम काटे जाकर केतागण अनावेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। तदनुसार उक्त निगरानी निराकृत की जाती है। सदस्य	